उत्तर प्रदेश शासन
राज्य योजना आयोग-1
(नियोजन विभाग)
संख्या:4/2022/(2245/2022)01/01/35-आ-1-2022-13
लखनऊ: दिनांक 10 अक्टूबर, 2022

<u>अधिसूचना</u>
<u>विविध</u>

संकल्प संख्या-16(एस)/72-122 दिनांक 24 अगस्त, 1972 द्वारा राज्य स्तर पर नियोजन प्रक्रिया को व्यापक एवं सुदृढ़ करने के लिए गठित राज्य योजना आयोग एवं इसके पश्चात राज्य योजना आयोग के पुनर्गठन से सम्बन्धित निर्गत समस्त आदेशों को अतिक्रमित करते हुए श्री राज्यपाल महोदय राज्य योजना आयोग को पुनर्गठित करते हुए नवीन संस्था के रूप में स्टेट ट्रांसफार्मेशन कमीशन (State Transformation Commission-STC) के सृजन की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। स्टेट ट्रांसफार्मेशन कमीशन (State Transformation Commission-STC) का स्वरूप निम्नवत होगा:-

1	अध्यक्ष	मा. मुख्यमंत्री जी
2	पदेन सदस्य (विशेष आमंत्री)	1. मा0 मंत्री, ग्राम्य विकास विभाग,उ0प्र0 सरकार। 2. मा0 मंत्री, चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग, उ0प्र0 सरकार। 3. मा0 मंत्री, वित्त विभाग, उ0प्र0 सरकार। 4. मा0 मंत्री, कृषि विभाग, उ0प्र0 सरकार। 5. मा0 मंत्री, जल शक्ति विभाग,उ0प्र0 सरकार। 6. मा0 मंत्री, औद्योगिक विकास विभाग,उ0प्र0 सरकार। 7. मा0 मंत्री, नगर विकास विभाग,उ0प्र0 सरकार। 8. मा0 मंत्री, समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0 सरकार। 9. मा0 मंत्री, पंचायती राज विभाग,उ0प्र0 सरकार। 10. मा0 मंत्री/मा0 राज्य मंत्री, नियोजन विभाग, उ0प्र0 सरकार।
3	उपाध्यक्ष	ख्याति प्राप्त लोक प्रशासक/शिक्षाविद/अर्थव्यवस्था से जुड़े विषय विशेषज्ञ (मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा नामित)
4	शासकीय पदेन सदस्य	1. मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन 2. कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन 3. औद्योगिक एवं अवस्थापना आयुक्त, उ0प्र0 शासन 4. समाज कल्याण आयुक्त/अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, समाज कल्याण, उ0प्र0 शासन 5. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उ0प्र0 शासन 1) कृषि विभाग 2) वित्त विभाग 3) अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग 4) ग्राम्य विकास विभाग 5) चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है। अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

		6) नगर विकास विभाग 7) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग 8) नियोजन विभाग
5	गैर सरकारी सदस्य	<u>मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा नामित</u> 1. सामाजिक सेक्टर से सम्बन्धित विषय विशेषज्ञ 2. कृषि एवं संवर्गीय सेवाओं से सम्बन्धित विषय विशेषज्ञ 3. अर्थव्यवस्था एवं वित्त क्षेत्र से सम्बन्धित विषय विशेषज्ञ 4. औद्योगिक विकास/निवेश/प्रौद्योगिकी/ऊर्जा क्षेत्र से सम्बन्धित विशेषज्ञ
6	मुख्य कार्यकारी अधिकारी	लोक प्रशासक/प्रमुख सचिव अथवा उससे उच्च पद के सेवारत अथवा सेवानिवृत्त अधिकारी
7	अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी (पदेन)	विशेष सचिव, नियोजन,उ0प्र0 शासन।

2- **स्टेट ट्रांसफार्मेशन कमीशन State Transformation Commission-STC के उपाध्यक्ष का मनोनयन एवं समयावधि:**

उपाध्यक्ष के रूप में ख्याति प्राप्त अनुभवी लोक प्रशासक/शिक्षाविद/विभिन्न क्षेत्रों के विषय विशेषज्ञ का मनोनयन मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा किया जायेगा और सदस्यता अवधि अधिकतम 03 वर्ष होगी, जिसे विशेष परिस्थितियों में 02 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकेगा। इस अवधि के सम्बन्ध में मा0 मुख्यमंत्री जी के अनुमोदन से आवश्यकतानुसार परिवर्तन किया जा सकता है। उपाध्यक्ष का मुख्यालय लखनऊ स्थित योजना भवन होगा। नियमानुसार मानदेय, यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता तथा अन्य अनुमन्य सुविधाएं जैसी कि समय-समय पर निर्धारित की जायेंगी, देय होंगी।

3- **स्टेट ट्रांसफार्मेशन कमीशन State Transformation Commission-STC के गैरसरकारी सदस्यों का मनोनयन एवं समयावधि:**

गैर सरकारी सदस्यों के रूप में ख्यातिप्राप्त अनुभवी विषय विशेषज्ञ का मनोनयन मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा किया जायेगा और इनकी सदस्यता अवधि अधिकतम 03 वर्ष होगी, जिसे विशेष परिस्थितियों में 02 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकेगा। इस अवधि एवं सदस्यों के मनोनयन तथा संख्या के सम्बन्ध में मा0 मुख्यमंत्री जी के अनुमोदन से आवश्यकतानुसार परिवर्तन किया जा सकता है। गैर सरकारी सदस्यों का मुख्यालय लखनऊ स्थित योजना भवन होगा। नियमानुसार मानदेय, यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता तथा अन्य अनुमन्य सुविधाएं जैसी कि समय-समय पर निर्धारित की जायेंगी, देय होंगी।

4- **मुख्य कार्यकारी अधिकारी:**

मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में योग्य, अनुभवी लोक प्रशासक यथा-प्रमुख सचिव अथवा उससे उच्च पद के सेवारत अथवा सेवानिवृत्त अधिकारी का मनोनयन मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा किया जायेगा। इनका कार्यकाल अधिकतम 03 वर्ष का होगा, जिसे विशेष परिस्थितियों में 02 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकेगा। इनके कार्यकाल के सम्बन्ध में मा0 मुख्यमंत्री जी के अनुमोदन से आवश्यकतानुसार परिवर्तन किया जा सकता है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी का मुख्यालय लखनऊ स्थित योजना भवन होगा। सेवारत अधिकारी को नियमानुसार देय वेतन तथा अन्य भत्ते अनुमन्य होंगे जबकि सेवानिवृत्त

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है। अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

अधिकारी के मामले में मानदेय, यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता तथा अन्य अनुमन्य सुविधाएं जैसी कि समय-समय पर निर्धारित की जायेंगी, देय होंगी।

5- **स्टेट ट्रांसफार्मेशन कमीशन State Transformation Commission-STC** के कार्य एवं दायित्व निम्न प्रकार होंगे:-

1. राज्य के विभिन्न प्रकार के संसाधनो (भौतिक, वित्तीय एवं जनशक्ति) का अनुमान लगाना और राज्य के विकास में इनके सर्वोत्तम उपयोग की नीति तैयार कर सुझाव देना।
2. राष्ट्रीय एजेण्डा के उददेश्यों, प्राथमिकताओं के साथ ही राज्य की आवश्यकताओं, संसाधनों व क्षमता को ध्यान में रखते हुए क्षेत्रवार और कार्यक्रमवार अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन उपायों की संरचना के साथ ही क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने के लिए नीतियों एवं कार्यक्रमों पर सुझाव देना।
3. जनमानस के जीवन स्तर में सुधार हेतु तंत्र विकसित करने तथा राज्य के आर्थिक और सामाजिक विकास में अवरोध उत्पन्न करने वाले कारकों को चिन्हित करने तथा विकास एजेण्डा पर सफल कार्यान्वयन हेतु समाधान ढूंढना।
4. आर्थिक सुधारों के वातावरण एवं परिप्रेक्ष्य में यथासम्भव पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (पी0पी0पी0) मॉडल के माध्यम से उपलब्ध वित्तीय स्त्रोतों/संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग हेतु सुझाव देना तथा विकास कार्यों के प्रतिफल (Outcome) का नियमित रूप से मूल्यांकन करते हुए सुझाव देना।
5. सूचना प्रौद्योगिकी, डिजिटल टेक्नोलॉजी तथा आधुनिकतम संचार साधनो का अधिक से अधिक उपयोग सुनिश्चित करने, उच्च तकनीकी संस्थाओं से समन्वय कर ज्ञान हस्तान्तरण का लाभ प्राप्त करने के लिए संसाधन केन्द्र (Resource Centre) एवं ज्ञान केन्द्र (Knowledge Hub) के रूप में कार्य करने के साथ ही विकास कार्यों की प्रगति की नियमित रूप से समीक्षा करते हुए आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान करना।
6. अन्य कार्य, जो समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा सौंपे जायें।

6- **स्टेट ट्रांसफार्मेशन कमीशन State Transformation Commission-STC** में निम्न घटक होंगे:-

1. **प्रशासन एवं लेखा प्रखण्ड**–इस प्रखण्ड में अधिष्ठान, लेखा से सम्बन्धित कार्य होगा। यह प्रखण्ड पूर्व की भांति कार्य करेगा और यह प्रखण्ड अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव/सचिव नियोजन विभाग के अधीन रहेगा।
2. **मूल्यांकन प्रखण्ड**–इस प्रखण्ड में योजनाओं के सतत मूल्यांकन सम्बन्धित समस्त कार्य होंगे जैसा कि नीति आयोग, भारत सरकार में डेवलपमेंट, मॉनीटरिंग एण्ड इवैल्यूएशन आफिस (DMEO) है।
3. **सेक्टोरल वर्टिकल प्रखण्ड**: वर्टिकल प्रखण्ड के अन्तर्गत अर्थव्यवस्था एवं वित्त, कृषि एवं संवर्गीय, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास, सोशल सेक्टर, विज्ञान प्रौद्योगिकी, इमर्जिंग सेक्टर, समन्वय तथा नगरीय विकास समाहित होंगे। विस्तृत विवरण निम्नवत है:-

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है। अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

1	अर्थव्यवस्था एवं वित्त	आर्थिक एवं वित्तीय विश्लेषण आदि से सम्बन्धित क्षेत्र।
2	कृषि एवं संवर्गीय	कृषि एवं संवर्गीय सेवाओं, वन व पर्यावरण, ग्राम्य विकास आदि से सम्बंधित क्षेत्र।
3	अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास	अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास, निवेश आदि से सम्बंधित क्षेत्र।
4	सोशल सेक्टर	शिक्षा, स्वास्थ्य, पुष्टाहार, महिला व बाल विकास, कमजोर वर्गों के कल्याण आदि से सम्बन्धित क्षेत्र।
5	विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं इमर्जिंग सेक्टर्स	विज्ञान प्रौद्योगिकी,अग्रणी प्रौद्योगिकी, इमर्जिंग सेक्टर्स, आई0टी0 डेटा प्रबन्धन एवं विश्लेषण, जलवायु, इनोवेशन आदि से सम्बन्धित क्षेत्र।
6	समन्वय	विभिन्न सेक्टोरल वर्टिकल्स से समन्वय, नीति आयोग, भारत सरकार से समन्वय सम्बन्धी समस्त कार्य।
7	नगरीय विकास	नगर विकास, आवास एवं शहरी नियोजन तथा नियोजन विभाग द्वारा सम्पादित योजनाओं से सम्बन्धित क्षेत्र।

7- **स्टेट ट्रांसफार्मेशन कमीशन State Transformation Commission-STC** में राज्य योजना आयोग में कार्यरत कार्मिकों में से अपर निदेशक (02 पद), संयुक्त निदेशक (03 पद), वरिष्ठ शोध अधिकारी (05 पद), शोध अधिकारी (08 पद), अपर शोध अधिकारी (03 पद), सहायक शोध अधिकारी (04 पद) पदधारक पुनर्गठन में निहित कार्यों के लिए सेवाएं प्रदान करेंगे। राज्य योजना आयोग के शेष कार्मिक नियोजन विभाग के अधीन पूर्ववत सेवाएं प्रदान करते रहेंगे। इन कार्मिकों की संख्या में यथाआवश्यकतानुसार परिवर्तन करने का अधिकार मुख्य कार्यकारी अधिकारी के परामर्श से अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, नियोजन विभाग द्वारा किया जा सकेगा।

8- मूल्यांकन प्रखण्ड के अन्तर्गत राज्य नियोजन संस्था के मूल्यांकन प्रभाग के अधीन समस्त कार्मिक **स्टेट ट्रांसफार्मेशन कमीशन** State Transformation Commission-STC के अन्तर्गत अपनी सेवाएं प्रदान करेंगे। इन कार्मिकों में संयुक्त निदेशक (02 पद), ज्येष्ठ मूल्यांकन अधिकारी (07 पद), मूल्यांकन अधिकारी (13 पद), मुख्य प्रशासनिक अधिकारी /वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी/प्रशासनिक अधिकारी (03 पद), अपर सांख्यिकी अधिकारी (21 पद) के साथ ही अराजपत्रित कार्मिक के रूप में 86 पद इस प्रकार कुल मिलाकर 132 पद हैं।

9- **स्टेट ट्रांसफार्मेशन कमीशन State Transformation Commission-STC** में अपेक्षित कौशल रखने वाले परामर्शदाताओं/वरिष्ठ परामर्शदाताओं/यंग प्रोफेशनल्स/डेटा रिसोर्स पर्सन को यथावश्यकता लिया जा सकेगा। इनकी सेवाशर्ते, चयन प्रक्रिया, अनुबन्ध नियम आदि के बारे में पृथक से नियोजन विभाग द्वारा अन्तर्विभागीय परामर्श के माध्यम से निर्णय लिया जायेगा।

10- नियोजन विभाग **स्टेट ट्रांसफार्मेशन कमीशन State Transformation Commission-STC** का सचिवालय होगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है। अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

11- भविष्य में **स्टेट ट्रांसफार्मेशन कमीशन State Transformation Commission-STC** में अपरिहार्य संशोधन/परिमार्जन मा0 मुख्यमंत्री, उ0प्र0 सरकार के अनुमोदन से किया जा सकेगा।

दुर्गा शंकर मिश्र
मुख्य सचिव।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
2- प्रधान महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3- महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी (प्रथम एवं द्वितीय) उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
4- निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0।
5- निजी सचिव, समस्त मा0 मंत्री/राज्यमंत्रीगण, उ0प्र0।
6- समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उ0प्र0 शासन।
7- स्थानिक आयुक्त, उ0प्र0 नई दिल्ली।
8- समस्त विभागाध्यक्ष, उ0प्र0।
9- समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
10- समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
11- सचिवालय प्रशासन (लेखा/इरला), उ0प्र0 शासन।
12- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-5
13- निदेशक, मूल्यांकन प्रभाग, नियोजन विभाग, लखनऊ।
14- निदेशक, पेंशन निदेशालय उ0प्र0, कैलाशकुंज, इन्दिरा नगर, लखनऊ।
15- निदेशक, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
16- लेखा अनुभाग, नियोजन विभाग, लखनऊ।
17- नियोजन विभाग के समस्त अधिकारीगण।
18- निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ0प्र0, प्रयागराज को राजकीय गजट के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ।
19- गार्ड फाइल।

(आलोक कुमार)
सचिव, नियोजन।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है। अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।